

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2023-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I में- 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मोलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न " प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्परिट";

(ग) अनुसूची IV में- 14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे

अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।